न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 24/2022

अपीलांट्स –

1. आसूसिंह पुत्र जवसिंह
2. मोडसिंह पुत्र जवसिंह जाति पुरोहित, निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. डामरसिंह पुत्र सूरसिंह
3. गिरधरसिंह पुत्र सूरसिंह
4. उम्मेदसिंह पुत्र सूरसिंह
5. कूम्पा पुत्र सूरसिंह
6. खुमानसिंह पूत्र वेदसिंह
7. कैलाशसिंह पुत्र वेदसिंह
8. हिन्दूसिंह पुत्र वेदसिंह
9. कंवराकंवर पत्नि वेदसिंह
10. सुरतानसिंह पुत्र नाथुसिंह
11. चंदनसिंह पुत्र नाथुसिंह
12. ऊकारसिंह पुत्र नाथुसिंह
13. साकूदेवी पत्नि मिश्रीसिंह
14. राजसिंह पुत्र मिश्रीसिंह
15. भेरूसिंह पुत्र मिश्रीसिंह
16. हरीसिंह पुत्र मिश्रीसिंह
17. नृसिंह पुत्र मिश्रीसिंह
18. भोपालसिंह पुत्र हमीरसिंह के कायम मुकाम
    18/1 बस्तीसिंह पुत्र भोपालसिंह
    18/2 सरूपसिंह पुत्र भोपालसिंह
19. किशनसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति पुरोहित, निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2018 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2से5, 7, 9से 14, 16 [illegible] की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18/1, 18/2 एवं 19 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. रेस्पोडेंट संख्या 6, 8, 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बालेरा में खेत खसरा संख्या 587 / 270, 150, 429 / 127, 528 / 22, 164 कुल रकबा 240–13 बीघा भूमि खातेदारान डामरसिंह गिरधारीसिंह उम्मेदसिंह कूपा पि0 सुरसिंह, खुमानसिंह कैलाशसिंह हिन्दुसिंह पि0 वेदसिंह, कंवरा पत्नि वेदसिंह, मिश्रीसिंह उर्फ बीजाराम सुरतासिंह चन्दनसिंह ऊकारसिंह पि0 नाथूसिंह, आसुसिंह मोडसिंह पि0 जवसिंह, भोपालसिंह किशनसिंह पि0 हमीरसिंह कौम पुरोहित सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने न्याय आपके द्वार–2018 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 31.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बालेरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 31.05.2018 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि मौजा बालेरा में खेत खसरा संख्या 587 / 270, 150, 429 [illegible] कुल रकबा 240–13 बीघा में आई हुई है। अपीलाण्टगण को 1 / 4 [illegible] भूमि खेत खसरा संख्या 528 / 22 रकबा 104–02 [illegible] से बाहमी बंटवाड़े से प्राप्त हुई तथा अपीलाण्ट[illegible] 1 / 4 हिस्सा की भूमि के चारो तरफ तारबंदी की हुई है तथा इसमें कृषि कुआं, टां[illegible] व रहवासीय कमरा बनाया हुआ है तथा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये मिट्टी डालकर खेत मे बिछाई हुई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथा इसी माफिक वर्तमान मे भी अपीलाण्टगण का कब्जा–काश्त है, परन्तु उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पटवारी हल्का व अन्य सह–खातेदारान द्वारा भी यही बताया गया था कि अपीलाण्टगण के कब्जे–काश्त की भूमि अपीलाण्टगण को दी जा रही है तथा शेष सह–खातेदारान को भी उनके भौतिक कब्जे अनुसार भूमि दी जा रही है और इसी कथन से आश्वस्त होकर अपीलाण्टगण ने विभाजन आवेदन पर अपने अंगूष्ठ निशान किये थे। इस विभाजन आदेश का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया तथा आराजी के लठ्ठाट्रेस (नक्शा) में हल्का पटवारी ने तरमीम अपने स्तर पर कर दी, एवं तरमीम करने से पूर्व पटवारी हल्का अथवा निरीक्षक (भू.अ.) मौके पर भूमि की सर्वे करने हेतु नहीं आये थे। इस कारण अपीलाण्टगण को ज्ञान नहीं हुआ कि तरमीम कब हुई। अपीलाण्टगण द्वारा विभाजन की भूमि मौके पर चिन्हित करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी ने नक्शे के अनुसार पैमाईश कर बताया कि अपीलाण्टगण के कब्जे–काश्त की भूमि उतरदातागण संख्या 18 व 19 के खातेदारी में दर्ज कर दी गई हैं। उतरदातागण नाथूसिंह व अन्य के कब्जे–काश्त वाली भूमि अपीलाण्टगण के नाम अंकन कर दिया गया है। जो अपीलाण्टगण के नाम से भूमि दर्ज की गई है, उसमें उतरदातागण नाथूसिंह वगैरा की ढाणियां बनी हुई है तथा उक्त विभाजन मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत किया गया है, जिसमें सभी पक्षकारान प्रभावित हो रहे है। उक्त विभाजन आदेश अपीलाण्टगण के भौतिक कब्जे–काश्त अनुसार नहीं है तथा विभाजन आदेश के साथ जो नक्शा विभाजन तस्दीक हुआ है, वह त्रुटिपूर्ण है। जिससे यह आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अरसा कुछ समय पुर्व जब हल्का पटवारी से मौके पर विभाजित की गई भूमि के अनुसार चिन्हित करवाया तब इस त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ व इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 31.05.2018 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा [illegible] में खेत खसरा संख्या 587 / 270, 150, 429 / 127, 528 / 22, 164 कुल रकबा 24[illegible] का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। [illegible] इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार [illegible] किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान [illegible] सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील करीब 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

साल बाद प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.03.2022 को होने का तथ्य अभिलेखीय तौर पर गलत एवं मनगढत अंकित किया है। इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बालेरा में खेत खसरा संख्या 587/270, 150, 429/127, 528/22, 164 कुल रकबा 240–13 बीघा भूमि खातेदारान डामरसिंह गिरधारीसिंह उम्मेदसिंह कूपा पि0 सुरसिंह, खुमानसिंह कैलाशसिंह हिन्दुसिंह पि0 वेदसिंह, कंवरा पत्नि वेदसिंह, मिश्रीसिंह उर्फ बीजाराम सुरतासिंह चन्दनसिंह ऊकारसिंह पि0 नाथूसिंह, आसुसिंह मोडसिंह पि0 जवसिंह, भोपालसिंह किशनसिंह पि0 हमीरसिंह कौम पुरोहित सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने न्याय आपके द्वार–2018 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 31.05.2018 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बालेरा की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 31.05.2018 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाण्टगण के अपने 1/4 हिस्सा की भूमि के चारो तरफ तारबंदी की हुई है तथा इसमें कृषि कुआं, टांका व रहवासीय कमरा बनाया हुआ है तथा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये मिट्टी डालकर खेत मे बिछाई हुई है तथा इसी माफिक वर्तमान मे भी अपीलाण्टगण का कब्जा–काश्त है, परन्तु उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्टगण के कब्जे–काश्त की भूमि उतरदातागण संख्या 18 व 19 के खातेदारी में दर्ज कर दी गई हैं। उतरदातागण नाथूसिंह व अन्य के कब्जे–काश्त वाली भूमि अपीलाण्टगण के नाम अंकन कर दिया गया है। जो अपीलाण्टगण के नाम से भूमि दर्ज की गई है, उसमें उतरदातागण नाथूसिंह वगैरा की ढाणियां बनी हुई है तथा उक्त विभाजन मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत किया गया है, जिसमें सभी पक्षकारान प्रभावित हो रहे है। उक्त विभाजन आदेश अपीलाण्टगण के मौकिक कब्जे–काश्त अनुसार नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी उन्हें कुछ समय पुर्व जब हल्का पटवारी से मौके पर विभाजित की गई भूमि के अनुसार चिन्हित करवाया तब इस त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ व इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकलें प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में न्याय आपके द्वार–2018 के तहत आयोजित शिविर में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 4 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested